



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220854
CG-DL-E-05082020-220854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2020/श्रावण 13, 1942
No. 186]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2020/SRAVANA 13, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

(मामला सं. एडीडी- ओ आई-20/2020)

विषय: बहरीन और मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित किये गये ग्लास फाइबर और उस से बनी वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 06/24/2020-डीजीटीआर.— 1. मेसर्स ओवेन्स- कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओवेन्स-कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें बहरीन और मिस्र (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित से कुछ ग्लास फाइबर और उस से बनी

वस्तुओं (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद में ग्लास फाइबर है और इसमें ग्लास रॉविंग [संकलित रॉविंग्स (एआर), प्रत्यक्ष रॉविंग्स (डीआर)], कटे ग्लास का स्ट्रैंड(सीएस), और कटे ग्लास का स्ट्रैंड मैट (सीएसएम) सहित वस्तुएँ शामिल हैं।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 70 के अधीन टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीकरण 7019 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. निम्न प्रकार के ग्लास फाइबर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।

- i. ग्लासवूल,
- ii. फाइबर ग्लासवूल,
- iii. ऊन के रूप में फाइबर ग्लास इन्सुलेशन,
- iv. ग्लासयार्न,
- v. ग्लास वोवन फैब्रिक्स,
- vi. फाइबर ग्लास फैब्रिक्स,
- vii. ग्लास वोवन रॉविंग्
- viii. थर्मोप्लस्टिक अनुप्रयोगों के लिये कटे हुए स्ट्रैंड,
- ix. 0.3 से 2.5 माइक्रोस की सीमा में फाइबर व्यास के फाइबर ग्लास
- x. सर्फेस मैट/ सर्फेस वेल/ ऊतक ,
- xi. गीला कटा हुआ स्ट्रैंड ,
- xii. केम्पिल ।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद में तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, अथवा उपयोग जैसी विशेषताओं कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मेसर्स ओवेन्स-कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओवेन्स-कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। हालांकि, ओवेन्स-कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने गैर-संबद्ध वाले देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।
8. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदक का भारतीय उत्पादन में “एक प्रमुख हिस्सा” बनता है। उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबंधित नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

कथित पाटन के लिए आधार**क) सामान्य मूल्य**

9. आवेदक ने दावा किया है कि सम्बद्ध देशों में कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने समुचित तीसरे देश के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है। यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से भी प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। इन सम्बद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य भारत में संबन्धित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के साथ सम्बद्ध बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ के आधार पर अनुमानित किया गया है।

ग) निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, के लिए समायोजन किए गए हैं। आवेदक द्वारा दावा किए गए शुद्ध निर्यात मूल्यों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं

ग) पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक स्तरों पर होने और अत्यधिक होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पी यू सी का पाटन किया जा रहा है।

घ) क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के रूप में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन कोई बिक्री, बाजार में हिस्सेदारी, माल के संचय और उसके फलस्वरूप हानि, नकद हानि और, घरेलू उद्योग के लिए ह्रासकारी कीमतों पर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के कारण नियोजित पूंजी की वापसी में गिरावट के चलते प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. इस वर्तमान जांच में संबद्ध देश बहरीन और मिस्र हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

15. आवेदकों ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 (9 माह) की अवधि के लिए सूचना प्रदान की है और 1 अप्रैल 2019 से 31, दिसंबर 2019 को जांच की अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है। क्षति जांच अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2016- 31 मार्च, 2017; 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018; 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, और पीओआई की अवधियां को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

16. नियमावली के नियम 22 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि:

“इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, जांच की अवधि, - (i) जांच शुरू होने की तारीख तक छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होगी। (ii) बारह महीने की अवधि के लिए हो और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं। ”

17. नियमों में उपर्युक्त प्रावधान को देखते हुए, वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) है और क्षति अवधि 1 अप्रैल, 2016- 31 मार्च, 2017; 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018; 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, और पीओआई अवधियों को शामिल किया जाएगा।

प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg11-dgtr@gov.in तथा adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फार्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

20. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपर्युक्त पैरा 19 में उल्लिखित ई-मेल पते पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. पाटनरोधी नियमों के 6 (4) नियम के अनुसार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी, सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को ईमेल पते adg11-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। हालाँकि, यह नोट किया जा सकता है कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए जानकारी माँगने करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह पहले प्राप्त किया गया माना जाएगा जिस दिन यह निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक को प्रतिनिधि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा प्रेषित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने के लिए, नियमों के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचना का अगोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न करने पर प्रतिक्रिया / अनुरोध अस्वीकृत हो सकते हैं।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध करने वाले पक्षकारों को प्रश्नावली प्रतिक्रिया सहित (परिशिष्ट / अनुलग्नक संलग्न सहित) अलग से गोपनीय और अगोपनीय संस्करण दायर करने की आवश्यकता होती है।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना

चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक फाइल के रख रखाव के तरीके पर कार्य किया जा रहा है।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2020

(Case No. ADD-OI-20/2020)

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Glass Fibre and articles thereof originating in or exported from Bahrain and Egypt.

F. No. 6/24/2020- DGTR.— 1. M/s Owens-Corning (India) Private Limited and M/s Owens-Corning Industries (India) Private Limited (hereinafter referred to as the “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) seeking initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of certain glass fibre and articles thereof (hereinafter referred as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from Bahrain and Egypt (hereinafter referred to as “subject countries”).

2. The Applicants have alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and have requested for imposition of the anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Product under consideration

3. The product under consideration is glass fibre and articles thereof including glass roving [assembled rovings (AR), direct rovings (DR)], glass chopped strands (CS), and glass chopped strands mats (CSM).
4. The product under consideration is classified under the Chapter 70 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 under the tariff customs classification 7019. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
5. The following types of glass fibre are not covered within the scope of investigation.
 - i. Glasswool,
 - ii. Fibreglasswool,
 - iii. Fibre glass insulation in wool form,
 - iv. Glassyarn,
 - v. Glasswoven fabrics,
 - vi. Glass fibre fabric,
 - vii. Glass woven rovings
 - viii. Chopped strands meant for thermoplastic applications,
 - ix. Micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns,
 - x. Surface mat/surface veil/tissue,
 - xi. Wet chopped strands,
 - xii. Cemfil.

Like Article

6. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicants. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

Domestic industry

7. The application has been filed by M/s Owens-Corning (India) Private Limited and M/s Owens-Corning Industries (India) Private Limited. The Applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of product under consideration in India. However, Owens-Corning (India) Private Limited has imported the subject goods from non-subject countries.
8. Considering the information on record, the Applicant accounts for major proportion of the Indian production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and the application satisfies criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping**a) Normal value**

9. The Applicants have claimed that the data relating to price in the subject countries is not available. The Applicants have not provided information regarding the appropriate third country. This information is also not available with the Authority from any public source. The normal value for these subject countries has been estimated on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in India along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

b) Export Price

10. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Applicant.

c) Dumping Margin

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

d) Injury and Causal Link

12. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of lost sales, market share, accumulation of inventories and consequent losses, cash losses and decline in return on capital employed, as a result of increase in imports of product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

14. The subject countries for the present investigation are Bahrain and Egypt.

Period of Investigation (POI)

15. The Applicants have provided information for the period 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 Months) and has proposed period of investigation as 1st April, 2019 to 31st December, 2019. The injury investigation period has been proposed to cover the periods 1st April, 2016- 31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018; 1st April, 2018- 31st March, 2019, and the POI.

16. Explanation to Rule 22 of the Rules states that:

“For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

17. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months) and the injury period will cover the periods 1st April, 2016- 31st March, 2017; 1st April, 2017- 31st March, 2018; 1st April, 2018- 31st March, 2019, and the POI.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg11-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email address mentioned in paragraph 19.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic form is being worked out.

Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority